न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 07 सन 2021
अनवान :–

1. हनुमानसिह पुत्र सुगनसिह जाति राजपूत निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हरिशचन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 25/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 444/622 की कुल 11.3310हैक में से 6574/56655 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हडमानसिह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हनुमानसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम हनुमानसिह दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार भी प्रार्थी का नाम हनुमानसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 444/622 की कुल 11.3310हैक में से 6574/56655 हिस्सा भूमि में वादी का नाम हडमानसिह के स्थान पर हनुमानसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 444/622 की कुल 11. 3310हैक में से 6574/56655 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण हडमानसिह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम हनुमानसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम हनुमानसिह दर्ज है सरंपच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार भी प्रार्थी का नाम हनुमानसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 444/622 की कुल 11.3310हैक में से 6574/56655 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम हडमानसिह दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम हनुमानसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैक पास बुक , सभी में वादी का नाम हनुमानसिह दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार भी प्रार्थी का नाम हनुमानसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 444/622 की कुल 11.3310हैक में से 6574/56655 हिस्सा में प्रार्थी का नाम हडमानसिह पुत्र सुगनसिह अंकित है के स्थान पर हनुमानसिह उर्फ हडमानसिह पुत्र सुगनसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया। ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 07 / 2021 अनवानी हनुमानसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. हनुमानसिह पुत्र सुगनसिह जाति राजपूत निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 07 / 2021 अनवानी हनुमानसिह बनाम सरकार में दिनांक 25/03/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 444 / 622 की कुल 11.3310हैक्ट में से 6574 / 56655 हिस्सा में प्रार्थी का नाम हडमानसिह पुत्र सुगनसिह अंकित है के स्थान पर हनुमानसिह उर्फ हडमानसिह पुत्र सुगनसिह संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)